तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2006/3174/चूरू** **गुलकन्द बनाम चतरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-9-25	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** **––––––** **उपस्थितिः** श्री पवन सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण। अप्रार्थी स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। ––––––– **निर्णय** 1– यह निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील सं0 27/2005, उनवानी गुलकन्द वगैरह बनाम चतरसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28–03–2006 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– हस्तगत निगरानी याचिका के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी प्रार्थीगण पेश किया तथा वाद के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18–6–2004 द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी (हाल प्रार्थीगण) को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वे कृषि भूमि खसरा नंबर 609/320 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके रोही ग्राम भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू के गलत राजस्व इन्द्राज को आधार बनाकर इस पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखलअंदाजी नहीं करें अथवा करावें। उक्त आदेश दिनांक 18–6–2004 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–03–2006 द्वारा धारा 5 मियाद के बिन्दु पर ही अपील को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– अप्रार्थी की तलबी हेतु कई बार नोटिस जारी किये जा चुके है तथा नोटिस खुले मकान पर भी चस्पा किये गये, किन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहे, जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस हस्तगत निगरानी पर सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी याचिका में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पर गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं कर, इसे अवधि बाधित मानते हुए मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण ने अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय हलफमाना पेश किया जिसे मात्र इस आधार पर नहीं माना कि वकील साहब का हलफनामा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2006/3174/चूरू</u>** **<u>गुलकन्द बनाम चतरसिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अगर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है तो उस पर गुणावगुण पर बहस सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए, अगर अपील में कोई सार नहीं है तो मियाद बिन्दु पर खारिज की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं दस्तावेजात के अप्रार्थी का कब्जा मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि विवादित रकबे का फैसला तहसीलदार द्वारा दिनांक 13-5-1980 को विभाजन की डिक्री पारित करते हुए नामांतरकरण भी प्रार्थीगण के हक में हो गया है और वर्ष 1980 से प्रार्थीगण का कब्जा भी चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का कब्जा मानकर अस्थाई जारी करने में त्रुटि की गई है, जो निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17-5-2004 व दिनांक 25-5-2004 को वकील साहब से तैयार करवाकर, हस्ताक्षर कर वकील साहब की उपस्थिति में पेश किया था। दिनांक 27 मई, 29 मई तथा 5, 7, 14, 17 व 18 जून को प्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए थे। मात्र वकील साहब द्वारा 10 जून को आदेश 39 नियम 7 सीपीसी की बहस प्रस्तुत की थी जिस पर होशियारसिंह के हस्ताक्षर हैं, जो पूर्व में तैयार की गई थी। इसी प्रकार धारा 148 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एवं आदेश 8 नियम 1 सीपीसी प्रार्थना दिनांक 11 जून को न्यायालय में पेश किया गया जिस दिन न्यायलय में पेशी नियत नहीं थी। वकील साहब द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किये गये, प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं था। वकील साहब द्वारा यह आश्वासन देने पर कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जाएगा, वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-6-2004 की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। अंत में प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 28-03-2006 व 18-06-2004 को निरस्त किये जाने का कथन करते हुए अपने पक्ष समर्थन में 1998 आर.आर.डी. 319 एवं 2011 (1) आर.आर.टी. 602 (एस.सी.) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। 4- अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी वादी चतरसिंह द्वारा प्रार्थी प्रतिवादीगण गुलकन्द वगैरह के विरूद्ध विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा वादपत्र के साथ ही धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र भी पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश किया गया, जिस पर दिनांक 17-06-2004 को उभय पक्षों की बहस सुनकर अप्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रार्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 17-06-2004 के विरूद्ध प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर कैम्प चूरू के समक्ष अपील मय धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 24-11-2005 को प्रस्तुत की गई, जिस पर मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रत्यर्थी अप्रार्थी चतरसिंह ने धारा-5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर जाहिर किया कि अपीलार्थी प्रार्थी ने आदेश दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2006/3174/चूरू** **गुलकन्द बनाम चतरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18–06–2004 के विरूद्ध 18 माह पश्चात् अपील पेश किये जाने से अपील अवधि बाधित है। विचारण न्यायालय में वाद व उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा की पेशियां साथ–साथ चलती थी और अपीलार्थी इस पेशियों में न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए थे तथा आक्षेपित निर्णय दिनांक 18–06–2004 उनके समक्ष सुनाया गया तथा उस समय वह विचारण न्यायालय में उपस्थित थे तथा बहस के समय भी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित थे तथा उन्हें निर्णय दिनांक 18–06–2004 की जानकारी शुरू से ही थी। इस प्रकार प्रार्थी अपीलार्थी ने गलत व मनगंढ़त तथ्यों के आधार पर अवधि बाधित अपील पेश की है जो इसी स्तर पर खारिज की जाये। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 28–03–2006 से अपीलार्थी की अपील अवधि बाधित मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। 5– चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया कि उनके अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश की जानकारी उन्हें नहीं दी गई तथा जवाब पेश करने के पश्चात् उनके अधिवक्ता द्वारा यह कहने पर कि अब कोई आवश्यकता होगी तब सूचित कर देंगे हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, की बात पर विश्वास कर आगामी तारीख पेशियों में आना बंद कर दिया, इस कारण उन्हें उक्त आदेश की जानकारी नहीं हुई तथा अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दिये जाने पर उक्त आदेश की जानकारी होने पर तथा अपने अधिवक्ता से पूछताछ करने व आदेश की प्रमाणित नकल प्राप्त करने पर यह अपील पेश की गई है। इस संबंध में आक्षेपित आदेश दिनांक 28–03–2006 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी के प्रकरण की कार्यवाही में भाग लिये जाने एवं अपने अधिवक्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को संतोषप्रद व विश्वसनीय नहीं मानकर अपील को अवधि बाधित मानते हुए खारिज किया है। हमारे विनम्र मत में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय–समय पर यह सिद्धांत अभिनिर्धारित किये है कि जहां पर न्याय ही दांव पर लगा हो, वहां पर मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख रखा जाना चाहिये। केवल विलंब के कारण न्याय का हनन नहीं होना चाहिये तथा जहां सारवान न्याय प्रदान करने की तकनीकी अड़चनों में परस्पर स्पर्धा हो, वहां पर सारवान न्याय प्रदान करने की ओर वरीयता देनी चाहिये। यह सही है कि अपीलार्थी द्वारा करीब 18 माह की अवधि के पश्चात् अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए विलंब के संबंध में उदार रूख अपना कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करते, जिससे अपीलार्थी को भी अपना समुचित पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। 6– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2006/3174/चूरू</u>** **<u>गुलकन्द बनाम चतरसिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2006 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभय पक्ष न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष दिनांक 13–10–2025 को वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं उपस्थित हों। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। अधिवक्ता पक्षकारान को निर्णय की सूचना जरिये जी.सी.एम.एस. पोर्टल पर दी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	